813

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प(77/73) ई.सी. बैठक/99/ 1349

दिनांक 27-11-99

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 73वीं बैठक दिनांक 16.11.99 का कार्यवाही विवरण।

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 73वीं बैठक श्री एन.सी. गोयल, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 16.11.99 को प्रात: 11.00 बजे समिति कक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ठ- 'क' पर संलग्न है।

बैठक में विचार विमर्श पश्चात एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नांकित विवरणानुसार निर्णय लिये गये।

स्ताव	73.1	कार्यकारी समिति की 72वीं बैठक दिनांक 24.04.99 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।
रित प्रस्ताव	73.1	कार्यकारी समिति की 72वीं बैठक दिनांक 24.04.99 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया जाकर पुष्टि की गयी।
ताव	73.2	कार्यकारी समिति की 72वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति की रिपोर्ट 72.1 में 72वीं के स्थान पर 71वीं तथा दिनांक 24.04.99 के स्थान पर 26.10.98 किया गया। इसी प्रकार 72.2 में 72वीं के स्थान पर 71वीं तथा 24.4.99 के स्थान पर 26.10.98 किया गया। 72.8 में अनुपालना में ''प्रस्तुत कर दिया गया है'' की जगह 'प्रस्तुत कर दिया जायेगा' संशोधित किया गया।
रत प्रस्ताव	73.2	कार्यकारी समिति की 72वीं बैठक दिनांक 24.04.99 के निर्णयों

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

की क्रियान्विति रिर्पोट का अवलोकन किया गया ।

प्रस्ताव	73.3	प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि के संबंध में।
पारित प्रस्ताव	73.3	प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि के संबंध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का अवलोकन किया गया इस प्रस्ताव को निरस्त करने तथा पूर्व निर्णय दिनांक 25.10.97 को यथावत रखने का निर्णय लिया गया।
प्रस्ताव	73.4	चित्रकूट आवासीय योजना में लॉटरी द्वारा आवंटित भूखण्ड संख्या डी-9/144 के नियमन के संबंध में।
पारित प्रस्ताव	73.4	विचार विर्मश के उपरान्त निर्णय लिया गया कि चित्रकूट आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या डी-9/144 के प्रकरण में चूंकि नजराना राशि आवंटन की तिथि से निर्धारित अवधि के भीतर जमा नहीं करवाई गई और वर्तमान में दो वर्ष से अधिक का समय हो गया है और जिसकी स्वीकृति देने के लिए राज्य सरकार ही सक्षम है अत: इस प्रकरण को नियमानुसार ब्याज व शास्ति लेकर नियमितिकरण करने की स्वीकृती हेतु राज्य सरकार को भिजवा दिया जावे । परन्तु भविष्य के लिए यह सुनिश्चित किया जावे कि यदि किसी भी आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर नजराना राशि जमा नहीं कराये जावे तो भूखण्ड रदद् करने का नोटिस दिया जाना चाहिए और तपश्चात भूखण्ड रिक्त रखे जाने के स्थान पर उसके निष्पादन की कार्यवाही भी सुनिश्चित कि जानी चाहिये। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी पैंडिंग मामलों की समीक्षा की जाये और जिन मामलों में नियमन का आवेदन पत्र प्राप्त हो चुका है उन पर सक्षम स्तर पर निर्णय कराया जाये और जिन में नियमन का आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है उन्हें नोटिस देकर निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाये और वस्तुस्थिति की पूर्ण रिपोर्ट समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

की जाये।

प्रस्ताव 73.5

श्री रजनीश मिहानी, कनिष्ठ सहायक को डाटा ऐन्ट्री आपरेटर के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से पदौन्नति हेतु नियमों में शिथिलता प्रदान करने के संबंध में।

पारित प्रस्ताव 73.5

विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि भूतलक्षी पदोन्नति/नियुक्ति के प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया जा सकता परंतु इस प्रस्ताव का परीक्षण कर लिया जाये कि क्या सीधी भर्ती के इस पद को भावी प्रभाव से आन्तरिक स्क्रीनिंग या पदोन्नती से भरना संभव और वांछनीय होगा। भर्ती के माध्यम में परिवर्तन पर तत्पश्चात विचार किया जा सकेगा।

प्रस्ताव 73.6

प्राधिकरण सेवा / प्रतिनियुक्ति सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में।

पारित प्रस्ताव 73.6

विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण कर्मचारियों को दिनांक 1.1.99 से 30.4.99 तक बढे हुए मंहगाई भत्ते की देय राशि के संबंध में प्रसारित आदेश क्रमांक एफ.4(9)जविप्रा/संस्था/सा/83 दिनांक 26.5.99 को कार्योतर पुष्टि की जाती है।

प्रस्ताव 73.7

अपेक्स हॉस्पिटल, मालवीय नगर, जयपुर में उपचार की सुविधाऐं प्राधिकरण के अधिकारियों / कर्मचारियों को उपलब्ध करवाये जाने के प्रति मान्यता प्रदान करने के संबंध में।

पारित प्रस्ताव 73.7

जयपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियो/कर्मचारियों को निजी चिकित्सालयों मे उपचार की सुविधाएं दिये जाने के क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि पूर्व से ही प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को निजी चिकित्सालयों में उपचार की सुविधाएं दी हुई है अत: अपेक्स हॉस्पिटल प्रा.

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

लि. मालवीय नगर जयपुर का उपचार की सुविधा दिये जाने का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया।

प्रस्ताव 73.8

मै. सिम्पलेक्स ग्लास वर्क्स (इंडिया) प्रा. लि. की ग्राम-लूनियावास, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 482 से 487 की कुल 16 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से श्री अनिल कुमार श्रीमाल के स्वामित्व की कुल तीन बीघा आधा बिस्वा (7,651 वर्ग मीटर) भूमि का मास्टर विकास योजना-2011, जयपुर क्षेत्र में प्राकृतिक पारिस्थितिकी क्षेत्र से औधोगिक - मैन्यूफेक्चरिंग (ग्लास उधोग हेतु) भू-उपयोग उपान्तरण बाबत।

पारित प्रस्ताव 73.8

विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया एवं निर्णय लिया गया कि मै. सिम्पलैक्स ग्लास वर्कस (ईडिया प्रा. लि.) की ग्राम लूणियावास की तहसील आमेर के खसरा न. 482 से 487 की कुल 16 बीघा 7 बिस्वा भूमी में से श्री अनील कुमार श्रीमाल के स्वामित्व की कुल 3 बीघा 1/2 बिस्वा (7651 व.मी.) भूमि का मास्टर विकास योजना 2011 जयपुर क्षेत्र में प्राकृतिक परिस्थिति की क्षेत्र से ओद्योगिक (ग्लास उद्योग) भू उपयोग उपान्तरण बाबत प्रकरण अभिशंसा अंकित करते हुए राज्य सरकार के निर्णय हेतु प्रेषित कर दिया जाये।

प्रस्ताव 73.9

मै. अमूल्या प्लास्ट प्रा. लि. की ग्राम-लूनियावास, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 482 से 487 की कुल 16 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से श्री मूलेन्द्र कुमार के स्वामित्व की कुल दो बीघा (5058 वर्ग मीटर) भूमि का मास्टर विकास योजना-2011, जयपुर क्षेत्र में प्राकृतिक पारिस्थितिकी क्षेत्र से औधोगिक - मैन्यूफेक्चरिंग (प्लास्टिक उधोग हेतु) भू-उपयोग उपान्तरण बाबत।

पारित प्रस्ताव 73.9

विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया एवं निर्णय लिया गया कि मै. अमूल्या प्लास्ट प्रा. लि. ग्राम लूणियावास की तहसील आमेर के खसरा न. 482 से 487

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

817

की कुल 16 बीघा 7 बिस्वा भूमी में से श्री मूलेन्द्र कुमार मित्तल के स्वामित्व की कुल 2 बीघा (5058 व.मी.) भूमि का मास्टर विकास योजना 2011 जयपुर क्षेत्र में प्राकृतिक परिस्थिति की क्षेत्र से ओद्योगिक (प्लास्टिक उद्योग) भू उपयोग उपान्तरण बाबत प्रकरण अभिशंसा अंकित करते हुए राज्य सरकार के निर्णय हेतु प्रेषित कर दिया जाये।

प्रस्ताव 73.10 — नगरीय क्षेत्रों में गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाओं के तकनीकी अनुमोदन के समय (विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त) सामान्यत: आवासीय क्षेत्रफल 60 प्रतिशत तथा सडक व अन्य सुविधा क्षेत्रों का क्षेत्रफल 40 प्रतिशत रखे जाने के संबंध में।

पारित प्रस्ताव 73.10 — विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को स्थगित रखा जाये।

प्रस्ताव 73.11 — गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाओं में प्रस्तावित भूखंण्डों की लम्बाई व चौडाई को आधार मान कर भूखंण्डों के सैट बैक्स निर्धारित किये जाने के संबंध में।

पारित प्रस्ताव 73.11 — विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को स्थगित रखा जाये।

प्रस्ताव 73.12 — जयपुर विकास प्राधिकरण भवन विनियम 1996 के विनियम संख्या 7 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान जोड़े जाने के संबंध में- ''इन विनियमों के प्रभावशाली होने से पूर्व की सभी योजनाओं में, स्वीकृत सभी निजी योजनाओं व सहकारी समितियों की योजनाओं में भवन रेखा उन योजनाओं में निर्धारित अनुसार मान्य रहेंगे।''

पारित प्रस्ताव 73.12 — विचार विमर्श उपरान्त जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 1996 के विनियम सं. 7 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान जोड़े जाने का निर्णय लिया गया:-

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

'इन विनियमों के प्रभावशाली होने से पूर्व की सभी योजनाओं में स्वीकृत सभी निजी योजनाओं व सहकारी समितियों की योजनाओं में भवन रेखा उन योजनाओं में निर्धारित अनुसार मान्य रहेंगे।'

यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त संशोधन के अनुमोदन का प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव 73.13 — आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग हेतु बढ़ारना फैज द्वितीय के स्थान पर नारदपुरा में निर्मित आवास गृहों हेतु हुडको से ऋण प्राप्त करने के संबंध में ।

पारित प्रस्ताव 73.13 — आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग हेतु बढ़ारना फैज द्वितीय के स्थान पर नारदपुरा में निर्मित आवास गृहों हेतु हुडको से बढारना फैज द्वितीय में स्वीकृत रूपये 219.69 लाख के स्थान पर नारदपुरा आवासीय योजना में हुडको से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृती निम्नांकित शर्तो पर दी गई:-

1. श्री के. पी. सिंघल, सचिव जविप्रा को ऋण अनुबंधो/ मोर्डगेज डीड पर हस्ताक्षर करने, दस्तावेजों पर कामन सील लगाने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने को अधिकृत किया गया है।
2. योजना की कुल राशि व ऋण राशि के अन्तर को प्राधिकरण अपने स्त्रोतों से पूर्ति करेगा। इसमें योजना राशि में बढ़ोतरी भी यदि कोई हो सम्मिलित है।
3. हुडको की ऋण एवं ब्याज की राशि का पुर्नभुगतान हेतु बजट में समुचित प्रावधान रखा जायेगा।
4. निदेशक (वित्त) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त ऋणराशि प्राप्ति हेतु राज्य सरकार से गारंटी प्राप्त कर हुडको को दिलाई जायेगी।
5. राज्य सरकार को गारंटी कमीशन निर्धारित समय एवं दर से भुगतान करना एवं विफल होने की स्थिति में प्राधिकरण को देय किसी राशि से कटोती करने हेतु राज्य

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

सरकार को सहमति दी जाए।

6. योजना के क्रियान्वति हेतु प्रशासनिक व्यय पर्यवेक्षण व्यय के लिए 5 प्रतिशत प्रावधान रखा जाए।
7. विकसित भूमि की लागत की राशि आरक्षित दर की एक चौथाई लगाई जाए।

प्रस्ताव 73.14(1) — वाणिज्य बैंक एवं वित्तिय संस्थानो से अस्थायी साख सुविधा प्राप्त करने के संबंध में ।

पारित प्रस्ताव 73.14(1) — अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्ताव पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण में चल रहे विकास कार्यो को निरंतर चलाये जाने की दृष्टि से वाणिज्यिक बैक/वित्तीय संस्थानों से अस्थाई ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया गया कि वाणिज्यिक बैंक/वित्तीय संस्थानों से अधिकतम 5 करोड रूपये बतौर साख सुविधा 31 मार्च 2000 तक के लिए प्राप्त कर ली जाये। परंतु यह विशेष तौर पर ध्यान रखा जाये कि बतौर साख सुविधा प्राधिकरण द्वारा जो भी धनराशि प्राप्त की जाये उसका पुर्नभरण कम से कम अवधि में कर दिया जाये।

प्रस्ताव 73.14(2) — गृह निर्माण सहकारी समितियों की आवासीय योजनाओं के रूपान्तरण / नियमन अभियान 1999 के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त पद सृजित करने के संबंध में ।

पारित प्रस्ताव 73.14(2) — गृह निर्माण सहकारी समितियों की आवासीय योजनाओं को रूपान्तरण / नियमन अभियान 1999 को सफल बनाने की दृष्टि से अस्थाई रूप से भूनियमन शिविरों की समाप्ति तक निम्नांकित अतिरिक्त पद स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई-

1. प्राधिकृत अधिकारी — 13 पद
2. उपनगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक — 10 पद
3. तहसीलदार/एएसओ — 10 पद
4. पटवारी/अमीन — 20 पद

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

820

5. वरिष्ठ मानचित्रक/कनिष्ठ मानचित्रक 17 पद

6. अनुरेखक 4 पद

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

कार्यालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 73वीं बैठक दिनांक 16.11.99 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित हुए :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी/सदस्य मयपद	हस्ताक्षर
1.	Shri Ram Meena	[signature] 16/11
2.	Shreemal Pandey (Collector Jaipur)	[signature] 16/11/99
3.	दीपक उप्रेती (MD RSRTC)	[signature] 16/xi
4.	SWADESH PAL A.C.E. PH.ED	[signature]
5.	M. L. Saini C.E. (M2) RSEB Jaipur	[signature]
6.	D B. Punia CEO JNN	[signature]
7.	K P Singhal Secy, JDA	[signature]
8.	P.R. Sharma Dir (F) JDA	[signature]
9.	S.L. Mathur Dir (Engg.) JDA	[signature]
10.	L.K. Gupta Dir (T.P.) JDA	[signature]
11.	O.P. Saharan A.C (L&P) JDA	[signature]
12.	Laxmi Berwa A.C. Adm.	[signature]
13.	Bhal Singh CCF	[signature] 16/11
14.	G.P. Pandey. Dir. Law	

[signature]
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर